**न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.**
**(अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–99/2026

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा ) जे.ओ. कोड–यू.पी.2412

**UPSN010002872026**

1. अजीत कुमार मौर्य उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मौर्य, निवासी कोल्हण थाना चौरी जिला भदोही।
2. कल्लू उर्फ जितेन्द्र कुमार मौर्य उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र कपूरचन्द्र मौर्य, निवासी चौरीखास थाना चौरी जिला भदोही।

.....अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० राज्य .....अभियोजन

मुकदमा संख्या 623/25
सरकार बनाम अजीत कुमार मौर्य आदि
अपराध सं० 158/2025
धारा–352, 115(2), 127(2), 351(3)बी.एन.एस.
व 3(1) द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–चौरी, जनपद–भदोही ।

**दिनांक 11.03.2026**

1. नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अजीत कुमार मौर्य उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मौर्य निवासी कोल्हण थाना चौरी जिला भदोही, और कल्लू उर्फ जितेन्द्र कुमार मौर्य उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र कपूरचन्द्र मौर्य निवासी चौरीखास थाना चौरी जिला भदोही, का नियमित जमानत पत्र सम्बंधित मुकदमा संख्या 623/25, सरकार बनाम अजीत कुमार मौर्य आदि, अपराध सं० 158/2025,धारा–352, 115(2), 127(2), 351(3)बी.एन.एस. व 3(1) द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट,थाना–चौरी, जनपद–भदोही, सुना गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 28.01.2026 से न्यायालय के आदेश से आज तक अन्तरिम जमानत पर है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा दिए गए आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र पर न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा दिया जा रहा यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है। यह कि उपरोक्त अपराध संख्या में प्रार्थीगण को झूठे फसाया गया है प्रार्थीगण निर्दोष है और कोई अपराध कारित नही किये है। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्बित है देरी का कोई कारण नही दिया गया है। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 27.09.2025 को बताई गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.10.2025 को दर्ज करायी गयी है। यह कि प्रार्थीगण ने वादी मुकदमा प्रेम सागर व उसके साथी शिवकुमार को माँ बहन की भद्दी भद्दी गालिया नही दिये न मारे पीटे और न 1000/– रुपया छीने न ही वादी मुकदमा व उसके साथी शिवकुमार को जबरदस्ती मारपीटकर घर में वही बैठाये न ही जातिसूचक शब्द की

गाली देकर सार्वजनिक स्थान पर अपमानित किये, न जान से मारने की धमकी दिये। यह कि प्रार्थीगण ने वादी मुकदमा व उसके साथी शिवकुमार को जातिसूचक शब्द चमार सियार व माँ बहन की गाली देकर अपमानित नही किये और न ही मारपीटकर उन्हे कोई चोटे पहुँचाये। यह कि प्रार्थी/अभियुक्त कल्लू उर्फ जितेन्द्र आटो चलाता है। यह कि वादी मुकदमा व उसके साथी शिवकुमार झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है शराब पीकर अनायास लोगो को गालिया देते है मारते पीटते है आटो का भाड़ा लेकर वादी प्रेमसागर व उसके साथी शिवकुमार विवाद किये और प्रार्थीगण को मारपीटकर चोटे पहुँचायी और प्रार्थी कल्लू उर्फ जितेन्द्र कुमार का मोबाईल तोड़ दिया जिसका क्रॉस केस कायम है जो अपराध संख्या 159 सन् 2025, धारा 352, 115(2), 351(3), 324(2), बी०एन०एस० थाना चौरी है, जिसमें न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। यह कि प्रार्थीगण किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नही किये गये है। यह कि प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नही किये है। प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई अपराध नही बनता है। यह कि प्रार्थीगण अपनी जमानत मुचलका देने को तैयार है जमानत मुचलका पर रिहा होने पर जमानत मुचलका का कोई दुरुपयोग नही करेंगे। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को उचित जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये ताकि न्याय हो।

3. अभियोजन कथानक अनुसार प्रार्थी/वादी मुकदमा प्रेमसागर पुत्र रामबृक्ष ग्राम दरुनहा थाना चौरी तह० भदोही जिला भदोही का मुल निवासी है, दिनांक 27/9/2025 समय करीब 4 बजे शाम को प्रार्थी प्रेमसागर व शिवकुमार भाष्कर पुत्र स्व० लुटावन निवासी उपरोक्त इंदिरा मील भदोही से चौरी को तरफ एक टोटो से आ रहे थे चौरी बाजार पहुचने के बाद विपक्षी अजीत मौर्य पुत्र अज्ञात व कल्लू मौर्य पुत्र अज्ञात व 3 लोग अज्ञात निवासी गण कोल्हण थाना चौरी जिला भदोही द्वारा प्रार्थी व उसके साथी शिवकुमार को मां बहन कि भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए मारने–पीटने लगे और प्रार्थी का 1000 रू. छीन लिए प्रार्थी के साथी शिवकुमार को जबरजस्ती मारपीट कर घर मे बैठा लिए और हमारी जाति पुछने लगे जब प्रार्थी लोगो ने अपनी जाति चमार बतायी तो उपरोक्त विपक्षीगणो ने जाति सूचक शब्दो व माँ बहन की गाली देते हुए बोले कि नेतागिरी करोगे और कहते हुए पुनः मारने–पीटने लगे जिसका वीडियो रिकार्डिंग साक्ष्य उपलब्ध है, विपक्षीगण काफी दबंग किस्म के व्यक्ति है प्रार्थी को जान से भी मारने कि धमकी भी दिया है। उपरोक्त सूचनानुसार सम्बंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. वादी मुकदमा द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करते हुए कथन किया गया कि उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्तगण ने अपने जमानत प्रार्थनापत्र में बनावटी व झूठे कथानक के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया है जो सत्यता से परे है। यह कि उक्त अपराध संख्या व धारा में वादी मुकदमा दिनांक 27.09.2025 को शाम 4 बजे के करीब प्रेमसागर व शिवकुमार भाष्कर भदोही से मजदूरी करके चौरी की तरफ अपने घर के लिए टोटो से आ रहा था कि चौरी बाजार पहुँचने के बाद अभियुक्त अजीत कुमार मौर्या व कल्लू मौर्य व उनके साथ 3 अन्य व्यक्ति ग्राम कोल्हड़ चौरी खास थाना चौरी, जो वादी मुकदमा व उनके साथ रहे साथी मजदूर शिवकुमार को माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गाली गलौज देने लगे व मारने पीटने लगे व प्रार्थी के जेब से मजदूरी का 1000 रूपया छीन लिये और जबरदस्ती मारपीट कर अपने घर पर बैठा लिये और जाति पुछे जब वादी मुकदमा ने अपनी जाति बतायी तो अभियुक्तगण ने जातिसुचक शब्दो का

प्रयोग करते हुये चमार सियार माँ बहन की गाली देते हुये मारने पीटने लगे जिसका साक्ष्य के रूप में विडियो रिकोंडिंग उपलब्ध है व छोड़ते समय जान से मारने की धमकी दिये जिससे वादी मुकदमा व साथ में रहे मजदूर काफी भयभीत हो गये। यह कि अभियुक्तगण खुले आम रोड पर वादी मुकदमा व उसके साथ रहे मजदूर के ऊपर पान खाये हुये थुक दिये थे जिससे वादी व साथ रहे मजदूर का काफी अपमान हुआ उसी के चलते बन्धक भी बना लिए थे व अपमान किया था जो अभियुक्तगण द्वारा अशोभनीय रहा। यह कि घटना के बाद वादी मुकदमा थाना चौरी में प्रार्थनापत्र दिया था जो थाना चौरी की पुलिस ने कहा कि जाँच करने के बाद रिपोर्ट लिखेंगे जिसकी रिपोर्ट थाना चौरी की पुलिस द्वारा उक्त अपराध संख्या व धारा में लिखी गयी वादी मुकदमा व साथ में रहे मजदूर का डाक्टरी मुआइना थाना चौरी की पुलिस द्वारा कराया गया जो दौरान विवेचना अभियुक्तगण द्वारा भी बराबर धमकी दी जाती रही सुलह कर लेने की व बराबर धमकी दे रहे है अन्तरिम जमानत पर छूटने पर भी बराबर वादी मुकदमा को इस बात की धमकी दे रहे है कि जमानत का विरोध करोगे तो किसी दिन तुम्हारी हत्या करे देगे देगें चमार साले तुम्हारे परिवार में कोई मुकदमा लिखाने लायक नही रह जायेगा जिससे वादी मुकदमा काफी भयभीत व कही आने जाने से डर रहा है इस आधार पर भी अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त/खारिज किय जाने का आदेश दिया जाना न्याय संगत है। यह कि अभियुक्तगण उपरोक्त के जमानत प्रार्थनापत्र में आपत्ति स्वीकार किया जाकर अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है।

5. विद्वान् विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण तथाकथित अपराध की घटना में संलिप्त रहे है, जमानत पर छूटने पर जमानत का दुरूपयोग करेंगे। जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने घटना दिनांक व समय को वादी मुकदमा व उसके साथ के साथ मार पीट की, उन्हें गाली दी, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और वादी का 1000/– रुपया छीन लिया व जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 28.01.2026 से अंतरिम जमानत पर है, मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट 03–10–2025 को लिखाई जाती है जबकि घटना दिनांक 27–09–2025 की बताई जाती है, वादी मुकदमा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब का कोई पर्याप्त आधार नहीं दिया गया है। प्राथीगण/अभियुक्तगण की ओर से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 159 सन् 2025, धारा 352, 115(2), 351(3), 324(2), बी०एन०एस० में दर्ज कराई गई जिसमे आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। दोनो ही मुक़दमे एक ही घटना दिनांक 27.09.2025 से सम्बंधित है। अतः स्पष्ट है की दोनों क्रॉस केस है। प्राथीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध में सात वर्ष य उससे कम के दंड का प्रावधान है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष

पर विचार व्यक्त किये बिना प्राथीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है, तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्राथीगण/अभियुक्तगण अजीत कुमार मौर्य उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मौर्य निवासी कोल्हण थाना चौरी जिला भदोही, और कल्लू उर्फ जितेन्द्र कुमार मौर्य उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र कपूरचन्द्र मौर्य निवासी चौरीखास थाना चौरी जिला भदोही, का जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित सम्बंधित मुकदमा संख्या 623/25, सरकार बनाम अजीत कुमार मौर्य आदि, अपराध सं० 158/2025,धारा–352, 115(2), 127(2), 351(3)बी.एन.एस. व 3(1) द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट,थाना–चौरी, जनपद–भदोही, स्वीकार किया जाता है। प्राथीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को 25,000/– रूपये की दो–दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न शर्तो के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:

1. प्राथीगण/अभियुक्तगण बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेंगे।
2. प्राथीगण/अभियुक्तगण साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे।
3. प्राथीगण/अभियुक्तगण दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होंगे और विचारण में सहयोग करेंगे।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक 11.03.2026

(डॉ० अमित वर्मा )
आई. डी.–यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.03.31 15:19:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court